किस्म मुकदमा:— धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बर:— 03/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज केशुराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लोहावट)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/04/2024	अपीलार्थी केशुराम पुत्र श्री पूनाराम निवासी मोटानिया नगर तहसील बापिणी जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सभी बिन्दुओं से संबधित सूचना जिला कलक्टर कार्यालय से संबधित होने के कारण अपीलांट को जरिये स्पीड पोस्ट कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2005/2024/387 दिनांक 06.02.2024 को भिजवा दी गई थी, जिसकी प्रति भी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाऐं तत्कालीन जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर से संबधित होने के कारण जरिए पत्र के द्वारा अपीलांट को भिजवा दी गई थी। जिसकी रजिस्टर्ड डाक रेफरेन्स आई डी नंबर RR2076613269IN की प्रति तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई हैं। लोक सूचना अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचनाओं में से कतिपय सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध होना सम्भावित है। अतः आवेदक को सूचित कर कार्यालय में सूचना से संबधित पत्राचार आदि की सूचना नियमानुसार अपीलांट को 07 कार्यदिवस में उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	30/04 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, फलौदी